

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग
चिकित्सा शिक्षा भवन पिनक स्क्वायर मॉल के पास गोविन्द मार्ग जयपुर
ई-मेल adddir.medicaledu@rajasthan.gov.in

क्रमांक:— F.7 (86) CM/HM, Budget/Dme/Acad/2015-04018/

दिनांक:—

चैयरमेन,

नीट पी.जी. काउंसिलिंग बोर्ड-2025,

जयपुर।

विषय:— राजकीय एवं राजसेस के अधीन संचालित सभी चिकित्सा महाविद्यालयों से सत्र 2025-26 से ब्रॉडस्पेशियलिटी विभागों में सर्विस बॉण्ड लागू करने के संबंध में।

संदर्भ:— इस कार्यालय के पत्र दिनांक 01.09.2025 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि पूर्व में जारी इस कार्यालय के पत्र दिनांक 01.09.2025 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य के राजकीय एवं राजसेस के अधीन संचालित सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में सत्र 2025-26 से ब्रॉडस्पेशियलिटी विभागों के पी.जी. अभ्यर्थियों से लिया जाने वाला विषयवार सर्विस बॉण्ड राशि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:—

श्रेणी	पाठ्यक्रम का नाम	सर्विस बॉण्ड राशि (₹)
1	1. MD Dermatology (Skin & VD) 2. MD Radio-diagnosis 3. MS Obstetrics and Gynaecology 4. MD General medicine	1.5 करोड़
2	1. MS Orthopaedics 2. MD Paediatrics 3. MD TB and Chest 4. MS Ophthalmology 5. MS Traumatology 6. MS General surgery 7. MD Psychiatry	1 करोड़
3	1. MS Otorhinolaryngology (ENT) 2. MS Emergency medicine 3. MD Radiation oncology/Radiotherapy 4. MD Nuclear medicine 5. MD Anaesthesia 6. MD Palliative medicine 7. MD Pathology 8. MD Physical Medicine and Rehabilitation (PMR) 9. MD Immunohematology/IHBT/Transfusion Medicine 10. MD Microbiology	50 लाख
4	1. MD Bio-chemistry 2. MD Community medicine 3. MD Forensic medicine 4. MD /MS Anatomy 5. MD Physiology 6. MD Pharmacology 7. MD Tropical Medicine 8. MD Geriatric Medicine	25 लाख

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(मुकेश कुमार मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.) एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग
चिकित्सा शिक्षा भवन पिक स्क्वायर मॉल के पास गोविन्द मार्ग जयपुर
ई-मेल adddir.medicaledu@rajasthan.gov.in

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सहायक, आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग जयपुर।
4. शासन उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
5. अति निदेशक (प्रशा.), चिकित्सा शिक्षा निदेशालय/राजमेस।
6. अति निदेशक (अकादमिक), चिकित्सा शिक्षा निदेशालय/राजमेस।
7. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, समस्त राजकीय/राजमेस, चिकित्सा महाविद्यालय को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करार्वे।
8. प्रभारी अधिकारी, विधि अनुभाग, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय।
9. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.) एवं
पदेन सयुंक्त शासन सचिव